दिनांक 10 दिसंबर 2021 को सम्मेलन कक्ष, 5 माइल, गंगटोक में आयोजित शैक्षणिक परिषद की 28वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 10 दिसंबर 2021 को सुबह 11 बजे सम्मेलन कक्ष , बराद सदन , शैक्षणिक खंड में शैक्षणिक परिषद की 28वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :

1.	प्रो. अविनाश खरे कुलपति	- अध्यक्ष
2.	डॉ. सुधान प्रधान प्राचार्य, सिक्किम सरकारी विज्ञान महाविद्यालय चाकुंग, वेस्ट सिक्किम	- सदस्य
3.	डॉ. आरती छेत्री प्राचार्य, हर्कामाया शिक्षा महाविद्यालय सामदूर, तादोंग, ईस्ट सिक्किम	- सदस्य
4.	प्रो. एन. सत्यनारायण डीन, जीव विज्ञान विद्यापीठ	- सदस्य
5.	प्रो. मनेश चौबे डीन, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ	- सदस्य
6.	प्रो. एस.एस.महापात्र डीन, व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ	- सदस्य
7.	प्रो. संजय दाहाल डीन, भौतिक विज्ञान विद्यापीठ	- सदस्य
8.	प्रो. सोहेल फिरदोस डीन, मानव विज्ञान विद्यापीठ	- सदस्य
9.	डॉ. एस. मुरली मोहन परीक्षा नियंत्रक	- सदस्य
10.	डॉ. श्री राम पुस्तकालयाध्यक्ष	- सदस्य
11.	प्रो. लक्ष्मण शर्मा डीन, छात्र कल्याण	- सदस्य
12.	प्रो शांति एस शर्मा, अध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग	- सदस्य
13.	प्रो. नवल के. पासवान अध्यक्ष, शांति और द्वंद्व अध्ययन और प्रबंधन विभाग	- सदस्य
14.	प्रो. सुबीर मुखोपाध्याय अध्यक्ष, भौतिकी विभाग	- सदस्य
15.	डॉ. कृष्णेंदु दत्ता	- सदस्य

अध्यक्ष, संगीत विभाग

16.	डॉ. प्रवीण मिश्रा अध्यक्ष, विधि विभाग	-	सदस्य
17.	डॉ. वीनू पंत अध्यक्ष, इतिहास विभाग	-	सदस्य
18.	डॉ. दुर्गा प्रसाद छेत्री, अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग	-	सदस्य
19.	डॉ नीलाद्रि बाग, अध्यक्ष, उद्यानिकी विभाग	-	सदस्य
20.	डॉ. स्वाति ए. सचदेवा, अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग	-	सदस्य
21.	डॉ स्वरूप रॉय, अध्यक्ष, कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग	-	सदस्य
22.	डॉ. योदिदा भूटिया, अध्यक्ष, शिक्षा विभाग	-	सदस्य
23.	डॉ. रोज़ी चामलिंग, अध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग	-	सदस्य
24.	डॉ कृष्ण मुरारी, अध्यक्ष, प्रबंधन विभाग	-	सदस्य
25.	डॉ अनिल कुमार मिश्रा, अध्यक्ष, भूविज्ञान विभाग	-	सदस्य
26.	डॉ. सत्यानंद पंडा , अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग	-	सदस्य
27.	डॉ. हरदीप सिंह अध्यक्ष, हिन्दी विभाग	-	सदस्य
28.	डॉ. भोज कुमार आचार्य अध्यक्ष, प्राणीविज्ञान विभाग	-	सदस्य
29.	डॉ. अमित चक्रवर्ती अध्यक्ष, गणित विभाग	-	सदस्य
30.	डॉ. नीतीश मंडल अध्यक्ष, मानवशास्त्र विभाग	-	सदस्य
31.	प्रो अभिजीत दत्ता प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग	-	सदस्य
32.	प्रो. पुष्पा शर्मा प्रोफेसर, नेपाली विभाग	-	सदस्य
33.	प्रो धनी राज छेत्री प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग	-	सदस्य
34.	डॉ. मोहन प्रताप प्रधान सह - प्राध्यापक	-	सदस्य

कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग

35. डॉ. ए.एन. शंकर - सदस्य
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग

36. डॉ. के.आर. राम मोहन - सदस्य
सह - प्राध्यापक
नृविज्ञान विभाग

37. श्री के.वी.एस. कामेश्वर राव - सचिव
कुलसचिव

निम्नलिखित सदस्य पूर्व निर्धारित व्यस्तता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके और अनुपस्थिति की अनुमति मांगी:

1. प्रो. कबिता लामा, डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ

2. प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग, अध्यक्ष, सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग

3. डॉ. राजेश राज एस. एन., अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग

4. प्रो. मोहम्मद यासीन, प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग

5. डॉ. विमल खवास, सह प्राध्यापक, शांति एवं द्वंद्व अध्ययन एवं प्रबंधन विभाग

डॉ. एस.के. गुरुंग, संयुक्त कुलसचिव (शैक्षणिक) और श्री सत्यम राणा, सहायक परिषद की सहायता के लिए उपस्थित थे।

अध्यक्ष ने शैक्षणिक परिषद की 28वीं बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और विशेष रूप से पहली बार भाग लेने वाले निम्नलिखित सदस्यों का स्वागत किया।

1. श्री के.वी.एस. कामेश्वर राव, कुलसचिव
2. डॉ. एस. मुरली मोहन, परीक्षा नियंत्रक
3. डॉ. श्रीराम, पुस्तकालयाध्यक्ष
4. डॉ. सुधान प्रधान, प्राचार्य, सिक्किम सरकारी विज्ञान महाविद्यालय, वेस्ट सिक्किम
5. डॉ. आरती छेत्री, प्राचार्य, हर्कामाया शिक्षा महविद्यालय
6. प्रोफेसर संजय दाहाल, डीन, भौतिक विज्ञान विद्यापीठ
7. डॉ. स्वाति ए. सचदेवा, आधायक्ष, समाजशास्त्र विभाग
8. डॉ. भोज कुमार आचार्य, विभागाध्यक्ष, प्राणी विज्ञान विभाग
9. डॉ. अमित चक्रवर्ती, अध्यक्ष, गणित विभाग
10. डॉ. नीतीश मंडल, अध्यक्ष , मानव विज्ञान विभाग
11. डॉ. मोहन प्रताप प्रधान, एसोसिएट प्रोफेसर, कंप्यूटर अनुप्रयुक्त विभाग
12. डॉ. ए.एन. शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग

अध्यक्ष ने शैक्षणिक परिषद में अपना कार्यकाल पूरा करने वाले निम्नलिखित के योगदान को भी अभिलेखित किया :

1. श्री टी.के. कौल, पूर्व कुलसचिव
2. प्रो ए.एस. चंदेल, पूर्व पुस्तकालयाध्यक्ष
3. प्रो रंजीत वर्मा, कुलपति, मुंगेर विश्वविद्यालय
4. प्रो. (डॉ.) नीलू रोहमेत्रा, निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
5. प्रोफेसर पायल मागो, प्राचार्य, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज फॉर वुमन, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
6. प्रो मनोज खन्ना, प्राचार्य, रामजस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
7. प्रोफेसर संध्या थापा, पूर्व अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग
8. प्रो इरशाद गुलाम अहमद, पूर्व प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ
9. डॉ. टी.जे.एम.एस. राजू, एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ
10. डॉ. कोमल सिंहा, एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, समाज विज्ञान विद्यापीठ ल ऑफ सोशल साइंसेज
11. डॉ अमिताभ भट्टाचार्य, एसोसिएट प्रोफेसर, भौतिकी विभाग, भौतिक विज्ञान विद्यापीठ

परिषद ने दिवंगत जनरल बिपिन रावत , रक्षा प्रमुख, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों , जिनका भारत के तमिलनाडु राज्य में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ, के सम्मानस्वरूप और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दो मिनट का मौन रखा।

तत्पश्चात, निम्नानुसार कार्यसूची में उल्लेखित विषयों पर चर्चा की गई :

खंड -1
कार्यवृत्त की पुष्टि और कार्रवाई रिपोर्ट

एसी28.1.1: दिनांक 28 अगस्त 2020 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 27वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

शैक्षणिक परिषद ने दिनांक 28 अगस्त 2020 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 27वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की, जिसे दिनांक 14 सितंबर 2020 को सभी सदस्यों को परिचालित किया गया था।

एसी28.1.2: दिनांक 28 अगस्त 2020 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 27वीं बैठक के कार्यवृत्त पर ली गयी कार्रवाई रिपोर्ट

सचिव ने दिनांक 28 अगस्त 2020 को आयोजित 27वीं बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। शैक्षणिक परिषद ने कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया।

खंड -2
सूचनात्मक विषय

एसी28.2.1: विश्वविद्यालय में एम.फिल/पीएचडी पंजीकरण के लिए सारांश

परिषद ने प्रत्येक आधायन विद्यापीठ के तहत विश्वविद्यालय में एम.फिल/पीएचडी पंजीकरण के लिए सारांश की संख्या नोट की।

खंड -3
अनुसमर्थित विषय

एसी 28.3.1: बाहरी परीक्षकों का पैनल

दिनांक 26.11.2020 से 03.12.2020 तक आयोजित विभिन्न विद्यापीठ बोर्डों की बैठकों में शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन के लिए बाहरी परीक्षकों के पैनल की सिफारिश की गई। हालाँकि , कोविड-19 महामारी और सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर, पिछले साल शैक्षणिक परिषद की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी और कुलपति ने नीचे उल्लेखित तालिका के अनुसार निम्नलिखित विभागों के बाहरी परीक्षकों के पैनल को इस उद्देश्य के लिए आमंत्रित करने की मंजूरी दी, जैसा कि उल्लेख किया गया है:

क्र.सं.	विद्यापीठों का नाम	विभाग का नाम	बाह्य परीक्षकों को आमंत्रण का कारण
1)	मानव विज्ञान विद्यापीठ	भूगोल	2 पीएचडी शोध प्रबंध ; 4 एम.फिल लघु शोध प्रबंध
		मानवशास्त्र	2 पीएचडी शोध प्रबंध; 2 एम.फिल लघु शोध प्रबंध
2)	भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ	अंग्रेजी	5 पीएचडी शोध प्रबंध; 6 एम.फिल लघु शोध प्रबंध
		नेपाली	4 पीएचडी शोध प्रबंध
		हिन्दी	3 एम.फिल लघु शोध प्रबंध
3)	भौतिक विज्ञान विद्यापीठ	गणित	1 एम.फिल लघु शोध प्रबंध
		रासायनिकी	2 एम.फिल लघु शोध प्रबंध
		भूविज्ञान	2 पीएचडी शोध प्रबंध
4)	व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ	प्रबंधन	2 पीएचडी शोध प्रबंध
		पर्यटन	3 एम.फिल लघु शोध प्रबंध
5)	सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ	अर्थशास्त्र	1 पीएचडी शोध प्रबंध; 5 एम.फिल लघु शोध प्रबंध
		राजनीति विज्ञान	1 पीएचडी शोध प्रबंध
		इतिहास	1 पीएचडी शोध प्रबंध; 8 एम.फिल

			लघु शोध प्रबंध
		पीसीएसएम	2 एम.फिल लघु शोध प्रबंध
		समाजशास्त्र	3 एम.फिल लघु शोध प्रबंध
		विधि	2 एम.फिल लघु शोध प्रबंध
		अंतर्राष्ट्रीय संबंध	1 एम.फिल लघु शोध प्रबंध

शैक्षणिक परिषद ने बाहरी परीक्षकों के उपरोक्त पैनल को मंजूरी देने में कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

एसी 28.3.2: विश्वविद्यालय में सम सेमेस्टर परीक्षा 2021 के संचालन के लिए दिशानिर्देश

यूजीसी के दिशा-निर्देशों जुलाई 2021 के अनुसरण में , कोविड-19 महामारी के मद्देनजर परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर पर दिशानिर्देशों की तैयारी के लिए गठित समिति ने विश्वविद्यालय में सम सेमेस्टर परीक्षा 2021 के संचालन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों की सिफारिश की:

1. स्नातक के अंतिम सेमेस्टर (छठे सेमेस्टर) , पीजी (चतुर्थ सेमेस्टर) और अन्य व्यावसायिक कार्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर (नियमित और बैकलॉग) के साथ-साथ पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों के बैकलॉग पेपर (थ्योरी और प्रैक्टिकल) (केवल सम सेमेस्टर) के लिए टर्मिनल की जाएंगी।

चूंकि दिशानिर्देशों का तत्काल अनुपालन किया जाना आवश्यक था , इसलिए कुलपति ने शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन के शर्त पर अधिसूचना के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी।

शैक्षणिक परिषद ने ऊपर उल्लेखित के अनुसार समिति द्वारा अनुशंसित दिशानिर्देशों को मंजूरी देने में कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

एसी 28.3.3 दो वर्षीय एमसीए पाठ्यक्रम एव एमसीए में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड

एआईसीटीई के दिनांक 03.07.2020 के पत्र एफ.सं. **AICTE/AB/MCA/2020-21** के संदर्भ में कंप्यूटर अनुप्रयोग में निष्णात पाठ्यक्रम की अवधि एमसीए प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड के साथ 3 वर्ष से 2 वर्ष कर दी गई है। तदनुसार , कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग ने 2 साल की अवधि के लिए एमसीए पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार किया और भौतिक विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड को विचार के लिए प्रस्तुत किया। भौतिक विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड ने दिनांक 03.12.2020 को आयोजित अपनी बैठक में एमसीए प्रवेश के लिए 2 साल के एमसीए पाठ्यक्रम और पात्रता मानदंड के मसौदे पर विचार किया गया और शैक्षणिक परिषद की मंजूरी के लिए सिफारिश की।

कोविड-19 महामारी और सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर पिछले साल शैक्षणिक परिषद की बैठक नहीं हो सकी और कुलपति ने उपरोक्त प्रस्ताव को शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से लागू करने की मंजूरी दे दी।

शैक्षणिक परिषद ने कुलपति की उपरोक्त कार्रवाई की पुष्टि की।

एसी 28.3.4 नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी में एम.ए. पाठ्यक्रमों के नामकरण में परिवर्तन

विश्वविद्यालय को दिनांक 3 सितंबर 2020 को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें पाठ्यक्रम का नाम **"बौद्ध धर्म और तिब्बती अध्ययन में एमए"** से **"बौद्ध और तिब्बती अध्ययन में एमए"** करने का अनुरोध किया गया था। दिनांक 13 मार्च 2020 को आयोजित पाठ्यक्रमों की विभागीय समिति की बैठक के कार्यवृत्त में पाठ्यक्रम के नाम को बदलने की आवश्यकता के पीछे तर्क दिया गया है कि 'बौद्ध धर्म' शब्द के धार्मिक अर्थ से बचने के बजाय इसकी शैक्षणिकता को बरकरार रखा जाए। पाठ्यक्रम के रूप में धर्मनिरपेक्ष अभिव्यक्ति का उद्देश्य पूरी तरह से बौद्ध दर्शन, मनोविज्ञान, ज्ञानशास्त्र, इतिहास और समाज पर व्यक्तिगत और सार्वभौमिक दोनों स्तरों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना है।

कुलपति ने पाठ्यक्रम का नाम बदलकर **"बौद्ध और तिब्बती अध्ययन में एमए"** करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की।

शैक्षणिक परिषद ने कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि की।

एसी28.3.5: बुनियादी बी.एससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में मध्य-स्तरीय स्वास्थ्य प्रदाता (एमएलएचपी) का एकीकरण

भारतीय नर्सिंग परिषद ने दिनांक 29 मई 2019 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य विषय में अधिसूचना में दिए गए विवरण के अनुसार 19 नए विषयों को शामिल करने के लिए बुनियादी बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में मध्य-स्तरीय स्वास्थ्य प्रदाता (एमएलएचपी) के एकीकरण के लिए अधिसूचित किया है। इस संबंध में स्वास्थ्य देखभाल, मानव सेवा और परिवार कल्याण विभाग, सिक्किम सरकार ने बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में संशोधन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नामित दो व्यक्तियों के साथ एक समिति का गठन किया।

पाठ्यचर्या पुनरीक्षण समिति ने भारतीय नर्सिंग परिषद की अधिसूचना के क्रम में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम में संशोधन किया और उसे प्रशासनिक स्वीकृति के लिए विश्वविद्यालय को अग्रेषित किया।

कुलपति ने बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के संशोधित पाठ्यक्रम को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की।

शैक्षणिक परिषद ने कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि की।

खंड -4
विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ विषय

क. परीक्षकों, आदि का पैनल

एसी 28.4.ए1: बाह्य परीक्षकों का पैनल

परिषद ने तालिका में उल्लिखित उद्देश्य के लिए संबंधित विद्यापीठ बोर्ड द्वारा अनुशंसित नीचे दिए गए विवरण के अनुसार परीक्षकों के पैनल को मंजूरी दी:

क्र.सं.	**विद्यापीठों का नाम**	**विभाग का नाम**	**बाह्य परीक्षकों को आमंत्रण का कारण**
1)	भौतिक विज्ञान विद्यापीठ	रसायनिकी	4 पीएचडी शोध प्रबंध
2)	भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ	अंग्रेजी	6 एम.फिल लघु शोध प्रबंध
		नेपाली	3 पीएचडी शोध प्रबंध; 8 एम.फिल लघु शोध प्रबंध
		चीनी	1 पीएचडी शोध प्रबंध
3)	जीव विज्ञान विद्यापीठ	प्राणीविज्ञान	बीएससी और एमएससी प्रयोगिक परीक्षा
		वनस्पति विज्ञान	3 पीएचडी शोध प्रबंध
4)	मानव विज्ञान विद्यापीठ	मानवशास्त्र	2 पीएचडी शोध प्रबंध
		भूगोल	1 पीएचडी शोध प्रबंध
		मनोविज्ञान	2 पीएचडी शोध प्रबंध
5)	व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ	वाणिज्य	2 पीएचडी शोध प्रबंध
		शिक्षा	2 पीएचडी शोध प्रबंध
		जनसंचार	3 पीएचडी शोध प्रबंध
6)	समाज विज्ञान विद्यापीठ	इतिहास	2 पीएचडी शोध प्रबंध
		समाजशास्त्र	3 पीएचडी शोध प्रबंध
		अर्थशास्त्र	1 पीएचडी शोध प्रबंध

परिषद ने परीक्षकों के पैनल की वैधता निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने के लिए भी कुलपति को अधिकृत किया। साथ ही गोपनीय पैनल वाले लिफाफे को बैठक में उपलब्ध कराने का सुझाव दिया।

ख. पाठ्यक्रम विवरणिका/पाठ्यक्रम से संबन्धित विषय

एसी28.4.बी1: सीएफसी पेपर के रूप में यूजी पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम में सार्वजनिक मानाव मूल्य (यूएचवी) पर पाठ्यक्रम की शुरुआत

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद अगले शैक्षणिक सत्र से एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के मद्देनजर इस मद को रोककर रखने का निर्णय लिया।

एसी 28.4.बी2: एमए इतिहास में एक पेपर "भारतीय युद्धों का इतिहास 1740-1945" (चतुर्थ सेमेस्टर) को शामिल करना

डॉ. वीनू पंत, अध्यक्ष, इतियाहस विभाग ने इस विषय को प्रस्तुत किया। परिषद ने विचार-विमर्श के बाद एमए इतिहास में ***"भारतीय युद्धों का इतिहास 1740-1945" (चतुर्थ सेमेस्टर)*** पर इतिहास के आधुनिक धारा के लिए एक नए पीजी पाठ्यक्रम (संरचना के साथ) को मंजूरी दी।

एसी 27.4.बी3: एमए इतिहास पाठ्यक्रम की पाठ्यक्रम संरचना के साथ 7 संशोधित पेपर

डॉ. वीनू पंत , अध्यक्ष, इतिहास विभागने इस विषय को प्रस्तुत किया। परिषद ने विचार-विमर्श के बाद धनराशि के आवंटन पर आगे स्पष्टीकरण के लिए इस मद को रोककर रखने का निर्णय लिया। परिषद ने मामले को सुलझाने के लिए एक समिति गठित करने के लिए कुलपति को अधिकृत किया।

एसी28.4.बी4: *भूटिया, लेप्चा और लिम्बु विषयों के लिए पीएचडी कोर्सवर्क पाठ्यक्रम*

डॉ. समर सिन्हा, सहायक प्राध्यापक, नेपाली विभाग, पाठ्यक्रम पुनरीक्षण समिति के सदस्य होने के नाते इस विषय को प्रस्तुत किया। परिषद ने विचार-विमर्श के बाद भूटिया, लेप्चा और लिम्बु विभागों के लिए पीएचडी कोर्सवर्क पाठ्यक्रम को मंजूरी दी।

एसी 28.4.बी5: *कंप्यूटर अनुप्रयोगों में संशोधित पीएचडी कोर्सवर्क पाठ्यक्रम*

कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ स्वरूप रॉय ने इस मद को प्रस्तुत किया। परिषद ने विचार-विमर्श के बाद कंप्यूटर अनुप्रयोगों में संशोधित पीएचडी कोर्सवर्क पाठ्यक्रम को मंजूरी दी।

एसी 28.4.बी6: नए बी.एससी नर्सिंग पाठ्यक्रम को अपनाना

परिषद ने नोट किया कि भारतीय नर्सिंग परिषद ने 13 जुलाई 2021 के पत्र के माध्यम से देश में नर्सिंग शिक्षा के समान मानक सुनिश्चित करने के लिए बी.एससी नर्सिंग के पाठ्यक्रम में संशोधन के बारे में सूचित किया था। संशोधित बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में क्रेडिट और सेमेस्टर प्रणाली के साथ मूलभूत , मुख्य और वैकल्पिक पाठ्यक्रम शामिल हैं। यह नया पाठ्यक्रम शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से लागू किया जाना है। इस संबंध में 5 जुलाई 2021 को गजट अधिसूचना जारी किया गया है।

तदनुसार, परिषद ने विचार-विमर्श के बाद जुलाई 2021 में अधिसूचित बीएससी नर्सिंग कार्यक्रम 2020 के लिए नियमों और पाठ्यक्रम के साथ बीएससी नर्सिंग के संशोधित पाठ्यक्रम को अपनाने के लिए मंजूरी दे दी।

एसी 28.4.बी7: महाविद्यालयों में वैकल्पिक विषय के रूप में एनसीसी का पाठ्यक्रम

परिषद ने नोट किया कि यूजीसी ने 15 अप्रैल 2021 के पत्र के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप सीबीसीएस के तहत एक वैकल्पिक क्रेडिट/विषय के रूप में एनसीसी शुरू करने के लिए एक परामर्श जारी किया था। इस संबंध में दिनांक 4 मई 2021 को रक्षा सचिव , रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के नियंत्रण में महाविद्यालयों में एनसीसी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू करने के संबंध में मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार को एक पत्र भी भेजा गया था।

परिषद ने यह भी नोट किया कि एनसीसी का पाठ्यक्रम डीजीएनसीसी , नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है और विश्वविद्यालय के यूजी कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुरूप इसे फिर से डिजाइन करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए गठित समिति ने दिनांक 6 सितंबर 2021 को बैठक की और गहन चर्चा के बाद विश्वविद्यालय के यूजी कार्यक्रम के लिए उपयुक्त अंकों को बदले बिना पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद महाविद्यालयों में यूजी कार्यक्रम में वैकल्पिक विषय के रूप में एनसीसी के पाठ्यक्रम को मंजूरी दी। परिषद ने विश्वविद्यालय में एनसीसी इकाई शुरू करने के लिए रास्ते तलाशने के सुझाव को भी नोट किया।

ग. नियम एवं नीति संबंधी विषय

एसी28.4.सी1: सिक्किम विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का कार्यान्वयन

परिषद ने कहा कि भारत सरकार ने दिनांक 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का शुभारंभ किया। तदनुसार, यूजीसी/शिक्षा मंत्रालय ने सभी विश्वविद्यालयों को एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए उपाय शुरू करने का निर्देश दिया। कुलपति ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से सिक्किम विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन के लिए प्रो. एन. सत्यनारायण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने एनईपी मॉडल पर काम करने के लिए विभिन्न उप-समितियों का गठन किया है।

यूजीसी/शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के अनुपालन में , परिषद ने कार्यकारी परिषद द्वारा अकादमिक वर्ष 2022-23 से विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन के अनुमोदन की सिफारिश की।

एसी 28.4.सी2: परीक्षा संबंधी नियम एवं विनियम में संशोधन हेतु प्रस्ताव

डॉ. एस. मुरली मोहन, परीक्षा नियंत्रक ने इस विषय को प्रस्तुत किया। परिषद ने मामले पर गहन विचार-विमर्श के बाद कार्यकारिणी परिषद द्वारा परीक्षा से संबंधित नियमों और विनियमों में संशोधन के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों को अनुमोदित किया :

1. **किसी एक सेमेस्टर में न्यूनतम अर्हक कुल अंक प्राप्त करने में विफल होने के कारण बैकलॉग पेपर(रों) को दोहराने के संबंध में परीक्षाओं के संचालन के नियमों में संशोधन।**

प्रस्ताव –

परीक्षाओं के संचालन से संबन्धित विनियमों के खंड 2.बी.ओ में निम्नलिखित प्रावधान **जोड़े** जाएँ -

खंड 2बी.ओ

(मौजूदा)

*"सेमेस्टर समाप्ति परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों को एक बार में पूरा करने में असमर्थ किसी छात्र को अगले प्रासंगिक सेमेस्टर में **अनुत्तीर्ण** प्रश्नपत्रों को उपरोक्त खंड (ई) और खंड (एफ) के प्रावधानों के अधीन दोहराने की अनुमति दी जाएगी और प्रासंगिक सेमेस्टर समाप्ति परीक्षाओं में एक या अधिक प्रश्नपत्रों , मामला जो भी हो, को दुबारा देने की अनुमति दी जाएगी।'*

(*परिवर्धन)

** "आगे, एक छात्र जो एक सेमेस्टर में सभी प्रश्नपत्रों में उत्तीर्ण होता है, लेकिन सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कुल अर्हक अंक प्राप्त करने में विफल रहता है, उसे सेमेस्टर को पूरा करने के लिए न्यूनतम कुल अंक प्राप्त करने के लिए अगले प्रासंगिक सेमेस्टर में सत्रीय और अंतिम परीक्षा के अंक दोनों को जोड़कर , सबसे कम कुल अंक प्राप्त करनेवाले पेपर को दोहराना होगा। छात्र अगर चाहे तो, पेपरों को निर्दिष्ट करते हुए परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित शुल्कों का भुगतान करते हुए उचित माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को आवदेन करते हुए अतिरिक्त पेपरों को दुबारा देने का विकल्प भी चुन सकता है। किसी भी मामले में, छात्र को अगले प्रासंगिक सेमेस्टर में सबसे कम कुल अंकोंवाले पेपर को दुबारा देना होगा।'*

2. सुधार एवं बैकलॉग शुल्क के संबंध में 'परीक्षा संबंधी कार्य हेतु भुगतान मानदंड '' में संशोधन

प्रस्ताव -

सुधार शुल्क को 'सुधार/बैकलॉग (रिपीट) पेपर' शुल्क के रूप में पढ़ने के लिए भुगतान मानदंडों में निम्नानुसार संशोधन करने का प्रस्ताव है -

मौजूदा -

कार्य की प्रकृति	विवरण	यूनिट	रुपये में दर
विविध	सुधार के लिए शुल्क	प्रति पेपर	500/-

प्रस्तावित संशोधन

कार्य की प्रकृति	विवरण	यूनिट	रुपये में दर
विविध	सुधार के लिए शुल्क/ बैकलोग (रिपिट) पेपर	प्रति पेपर	500/-

3. मॉडरेशन ड्यूटी के मानदेय की राशि में संशोधन

प्रस्ताव

निम्नानुसार भुगतान मानदंडों में संशोधन करते हुए मॉडरेशन के लिए मानदेय को संशोधित करने का प्रस्ताव है -

कार्य की प्रकृति	विवरण	मौजूदा		प्रस्तावित	
		यूनिट	रुपये में दर	यूनिट	रुपये में दर
प्रश्न पत्र मॉडरेशन	यूजी	प्रति विषय/ व्यक्ति	300/-	**प्रति दिन/ प्रति सदस्य**	**1000/-**
	पीजी/प्रमाणपत्र/पीजी डिप्लोमा/एम.फिल/पीएचडी	प्रति विषय/ व्यक्ति	500/-	**प्रति दिन/ प्रति सदस्य**	**1000/-**

4. परीक्षा परिणाम ग्रेड 'ओ' के विवरण को स्पष्ट करना; उच्चतम ग्रेड प्रदान किया जाना

प्रस्ताव -

ग्रेड 'ओ', 10 में से 9.0 और उससे अधिक की उच्चतम जीपीए सीमा प्राप्त करनेवाले छात्रों को दिया जाता है, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा जारी सभी शैक्षणिक पांडुलिपियों में **"उत्कृष्ट"** के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

घ. विविध विषय

एसी 28.4.डी1: शैक्षणिक सत्र 2022-23 से एम.फिल कार्यक्रम को बंद करना

परिषद ने नोट किया कि एनईपी 2020 ने एमफिल कार्यक्रमों को बंद कर दिया है। तदनुसार, परिषद ने कार्यकारिणी परिषद के अनुमोदन के लिए शैक्षणिक सत्र 2022-23 से विश्वविद्यालय में एमफिल कार्यक्रम को बंद करने की सिफारिश की।

एसी 28.4.डी2: सीए/सीएस/आईसीडब्ल्यूए योग्यता को स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष माना जाएगा

परिषद ने नोट किया कि यूजीसी ने दिनांक 18.02.2021 को आयोजित अपनी 550वीं बैठक में निर्णय लिया कि "सीए/सीएस/आईसीडब्ल्यूए योग्यता को स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष माना जाए"। इसके प्रभाव में, यूजीसी द्वारा दिनांक 15.04.2021 के अर्ध सरकारी पत्र सं. 9-35/2016(CPP-II) के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की गयी है।

इसके अनुसरण में, शैक्षणिक परिषद ने यूजीसी के उपरोक्त निर्णय को अपनाने हेतु सिफारिश की और सिक्किम विश्वविद्यालय में प्रवेश और भर्ती के दौरान सीए/सीएस/आईसीडब्ल्यूए योग्यता को पीजी डिग्री के समकक्ष माने जाने पर कार्यकारिणी परिषद के अनुमोदन के लिए सिफ़ारिश की।

एसी 28.4.डी3: "कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस पर अंतर्विषयक अनुसंधान केंद्र" की स्थापना

कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग के अध्यक्ष डॉ. स्वरूप रॉय ने इस मद को प्रस्तुत किया। परिषद ने विचार-विमर्श के बाद कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग में "कम्प्यूटेशनल इंटेलिजेंस पर अंतर्विषयक अनुसंधान केंद्र" की स्थापना के प्रस्ताव को रोकने का निर्णय लिया। परिषद ने पाया कि केंद्र के दीर्घकालिक कामकाज के लिए अधिक इनपुट और स्पष्ट रोडमैप की आवश्यकता है।

एसी 28.4.डी4: आईएनसी दिशानिर्देश 2019 और सिक्किम नर्सिंग काउंसिल (एसएनसी) 2021 के अनुसार पात्रता और परीक्षा मानदंड का सख्ती से पालन

परिषद ने नोट किया कि विश्वविद्यालय को आईएनसी से दिनांक 08.04.2019 का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आईएनसी दिशानिर्देश 2019 के अनुसार पात्रता और परीक्षा मानदंड का पूर्ण अनुपालन करने के लिए कहा गया। आईएनसी की पात्रता और परीक्षा मानदंडों का पालन नहीं किए जाने पर एसएनसी में छात्रों के पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परिषद ने यह भी कहा कि इस मामले को देखने और मौजूदा बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम और परीक्षाओं की योजनाओं में आईएनसी निर्देशों के प्रभाव की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई थी।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद दिनांक 22.09.2021 को आयोजित समिति की बैठक के कार्यवृत्त को मंजूरी दी, जिसमें आईएनसी के निर्देशों के अनुसार बी.एससी नर्सिंग पाठ्यक्रम और परीक्षाओं की योजनाओं को संरेखित करने के लिए विभिन्न निर्णय लिए गए।

एसी28.4.डी5: जम्मू और कश्मीर राज्य से बीएससी (एन) के लिए अतिरिक्त कोटा

परिषद ने नोट किया कि भारतीय नर्सिंग परिषद ने जम्मू और कश्मीर के अधिकतम आठ छात्रों को सभी केंद्र/राज्य सरकार/सरकारी विश्वविद्यालयों/चयनित संस्थानों में में अतिरिक्त कोटा (अनुमोदित वार्षिक सीटों के अतिरिक्त) के तहत भर्ती करने की अनुमति दी है। प्रत्येक उम्मीदवार का शिक्षण और छात्रावास शुल्क एआईसीटीई द्वारा वहन किया जाएगा। इस संबंध में भारतीय नर्सिंग परिषद से दिनांक 21.10.2021 के पत्र एफ.सं. 22-10/PMSSS-J&K/2021 - INC भी प्राप्त हुआ है।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत नर्सिंग कॉलेजों/संस्थानों/विभागों में अधिसंख्य कोटा के तहत जम्मू-कश्मीर से एसीआईटीई द्वारा नामांकित अधिकतम आठ छात्रों के प्रवेश को मंजूरी दी।

एसी28.4.डी6: भूटिया, लेप्चा और लिम्बु में पीएचडी कार्यक्रम के पर्यवेक्षक

परिषद ने नोट किया कि भूटिया, लेप्चा और लिम्बु विभाग पहली बार शैक्षणिक सत्र 2021-22 से पीएचडी कार्यकरम शुरू कर रहे हैं। तदनुसार , अतिरिक्त सीट के प्रावधान के तहत उपरोक्त तीन विभागों में से तीन आवेदकों – प्रत्येक से एक-एक को एक एसोसिएट प्रोफेसर या एक प्रोफेसर द्वारा पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए, यह प्रस्तावित किया गया था कि लेपचा , भूटिया और लिम्बु विभागों से संबंधित उपरोक्त तीन अतिरिक्त पीएचडी उम्मीदवारों के पर्यवेक्षण भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ के अंतर्गत नेपाली विभाग की प्रो. कबिता लामा और अङ्ग्रेज़ी विभाग की डॉ. रोजी चामलिंग द्वारा की जा सकती है। हालांकि, अतिरिक्त सीटों की श्रेणी के तहत आवंटित पीएचडी उम्मीदवारों को यूजीसी के मानदंडों के तहत अनुमत सीटों के कोटे के तहत नहीं गिना जाएगा।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद लेपचा , भूटिया और लिम्बु विभागों से संबंधित तीन अतिरिक्त पीएचडी उम्मीदवारों को नेपाली विभाग की प्रो. कबिता लामा और डॉ. अंग्रेजी विभाग की रोजी चामलिंग द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसे एककालीन छुट के रूप में माना जाएँ।

एसी28.4.डी7: पीएचडी शोध प्रबंधन के पहले पन्ने पर मार्गदर्शक/पर्यवेक्षक के नामों को शामिल करना

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद अधिकांश विश्वविद्यालयों में एकरूपता लाने के लिए पीएचडी शोध-प्रबंध के आवरण पृष्ठ पर पर्यवेक्षक का नाम शामिल करने की मंजूरी दी।

खंड 5

प्राधिकारणों/समितियों के कार्यवृत्त

एसी 28.5.1 दिनांक 26 नवंबर 2020 को आयोजित मानव विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की 14वीं बैठक का कार्यवृत्त

परिषद ने दिनांक 26 नवंबर 2020 को आयोजित मानव विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया।

एसी 28.5.2 दिनांक 27 नवंबर 2021 को आयोजित मानव विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की 15वीं बैठक का कार्यवृत्त

परिषद ने दिनांक 27 नवंबर 2021 को आयोजित मानव विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की 15वीं बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया।

एसी 28.5.3 दिनांक 21 जनवरी 2021 को आयोजित भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ बोर्ड की 14वीं बैठक का कार्यवृत्त

परिषद ने दिनांक 2 1 जनवरी 2021 को आयोजित भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ बोर्ड की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया।

एसी 28.5.4 दिनांक 2 दिसंबर 2021 को आयोजित भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ बोर्ड की 15वीं बैठकका कार्यवृत्त

परिषद ने दिनांक 2 दिसंबर 2021 को आयोजित भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ बोर्ड की 15वीं बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया।

एसी 28.5.5 दिनांक 3 दिसंबर 2020 को आयोजित भौतिक विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की 14वीं बैठक का कार्यवृत्त

परिषद ने दिनांक 3 दिसंबर 2020 को आयोजित भौतिक विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया।

एसी 28.5.6 दिनांक 30 नवंबर 2021 को आयोजित भौतिक विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की 15वीं बैठक का कार्यवृत्त

परिषद ने दिनांक 30 नवंबर 2021 को आयोजित भौतिक विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की 15वीं बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया।

एसी 28.5.7 दिनांक 2 दिसंबर 2020 को आयोजित व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ बोर्ड की 13वीं बैठक का कार्यवृत्त

परिषद ने दिनांक 2 दिसंबर 2020 को आयोजित व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ बोर्ड की 13वीं बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया।

एसी 28.5.8 दिनांक 1 दिसंबर 2021 को आयोजित व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ बोर्ड की 14वीं बैठक का कार्यवृत्त

परिषद ने दिनांक 1 दिसंबर 2021 को आयोजित व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ बोर्ड की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया।

एसी 28.5.9 दिनांक 27 नवंबर 2020 को आयोजित समाज विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की 14वीं बैठक का कार्यवृत्त

परिषद ने दिनांक 27 नवंबर 2020 को आयोजित समाज विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया।

एसी28.5.10 दिनांक 7 दिसंबर 2021 को आयोजित महाविद्यालय विकास की 14वीं बैठक का कार्यवृत्त

परिषद ने 7 दिसंबर 2021 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया। परिषद ने विचार-विमर्श के बाद कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदन के लिए निम्नलिखित मदों की सिफारिश की:

i) नर बहादुर भंडारी डिग्री महाविद्यालय , तादोंग में सूक्ष्म जीवविज्ञान में बीएससी पाठ्यक्रम शुरू करने और निरीक्षण दल की रिपोर्ट में उल्लिखित शर्तों के अधीन 20 छात्रों की प्रवेश के साथ शैक्षणिक सत्र 2021-22 से पाठ्यक्रम के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करना।

ii) सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, ग्यालशिंग में बी.कॉम कोर्स शुरू करना और निरीक्षण दल की रिपोर्ट में उल्लिखित शर्तों के अधीन शैक्षणिक सत्र 2021-22 से 50 छात्रों के प्रवेश के साथ पाठ्यक्रम के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करना।

iii) 12 महाविद्यालयों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण, बशर्ते कि निरीक्षण दल की रिपोर्ट में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया गया हो।

iv) दिनांक15 फरवरी, 2017 को निरीक्षण दल द्वारा अपनी रिपोर्ट में उल्लिखित शर्तों का पालन करने में असमर्थता के लिए पैलेटाइन कॉलेज , पाक्योंग को दी गई विश्वविद्यालय की अस्थायी संबद्धता को वापस लेना।

v) विश्वविद्यालय अध्यादेश के ओडी-1 की धारा 20 में संशोधन और "........... इस अध्यादेश को अपनाने" के बाद निम्नलिखित वाक्य को सम्मिलित करना

"हालांकि, 13 जुलाई 2014 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 15 वीं बैठक में तय किए गए अनुसार निरीक्षण टीम द्वारा तीन साल में एक बार स्थायी रूप से संबद्ध महाविद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा और निरीक्षण शुल्क के रूप में 2% गैर-संचयी वृद्धि के साथ रु. 50,000/- शुल्क राशि का भुगतान करना होगा।

खंड – 6
अध्यक्ष की ओर से विषय

शून्य

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(के.वी.एस.कामेश्वर राव)	**(प्रो. अविनाश खरे)**
कुलसचिव एवं सचिव	**कुलपति एवं अध्यक्ष**
शैक्षणिक परिषद	**शैक्षणिक परिषद**